भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता का न्यायालय, पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।

राजस्व न्यायालय

नामांतरण अपील वाद संख्या–03/2019–20

आदेश की तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बाद टिप्पणी तारीख साथ
13.04.2021		

अभिलेख उपस्थापित। आवेदक/अपीलार्थी अमर साह, पिता–स्व0 भानु लाल साह, ग्राम–इचिन्डा साई (पोटका), वार्ड नं0–23(नया), चक्रधरपुर, पो0+थाना–चक्रधरपुर, जिला–प0 सिंहभूम द्वारा अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर के नामांतरण वाद संख्या–148/R27/2019–20, दिनांक–11.06.2019 में पारित आदेश के विरूद्ध Appeal u/s 15 of the Bihar Tenants Holding (Maintenance of Records) Act 1973 के अंतर्गत दायर किया गया है। आवेदक/अपीलार्थी के आवेदन पत्र के आलोक में इस न्यायालय में नामांतरण अपील वाद संख्या–03/2019–20 प्रारंभ की गई है। जिसमें सुरेश गुप्ता, पिता–स्व0 डोमी साह, ग्राम–इचिन्डा साई (पोटका), वार्ड नं0–23(नया), चक्रधरपुर, पो0+थाना–चक्रधरपुर, जिला–प0 सिंहभूम को प्रतिवादी बनाया गया है।

भूमि का विवरण

मौजा	थाना सं0	खाता सं0	खेसरा सं0	रकवा
नगरपालिका चक्रधरपुर वार्ड नं0–17	68	190	555(b)	05 डि0 062 वर्गकड़ी

बहस के दौरान दोनों पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुना। आवेदक/अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि उक्त भूमि हाल सर्वे खतियान में भानु लाल साह तथा नारायण साह के नाम से दर्ज है। अभिलेख में संलग्न वंशावली के अनुसार सुरेश गुप्ता, पिता–डोमी साह, निवासी–वार्ड नं0–17 का संबंध खतियान रैयत से नहीं है साथ ही वाद में वर्णित भूमि न ही प्रतिवादी के स्वयं के नाम से है और न ही उनके पिता एवं दादा के नाम से खतियान में दर्ज है। इसलिए अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर द्वारा स्वीकृत नामांतरण वाद संख्या–148/R27/2019–20, दिनांक–11.06.2019 को रद्द करने का अनुरोध किया गया।

द्वितीय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि सुरेश गुप्ता, पिता–डोमी लाल साह खतियानी रैयत के सौतेला भाई है। आपसी बँटवारा के आधार पर अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर द्वारा उक्त भूमि का नामांतरण श्री सुरेश गुप्ता, पिता–डोमी साह ग्राम–इचिन्डा साई (पोटका), वार्ड नं0–23(नया), चक्रधरपुर, पो0+थाना–चक्रधरपुर, जिला–प0 सिंहभूम के पक्ष में किया गया है। दिनांक–17.08.2019 को मालती देवी एवं उमेश प्रसाद साह के द्वारा इस न्यायालय में क्रमशः शपथ पत्र संख्या–1227 एवं 1228, दिनांक–17.08.2019 दाखिल कर बताया गया है कि प्रतिवादी द्वारा घोषणा पत्र में दोनों

16.4.2021

का गवाह के रूप में हस्ताक्षर कराया गया है जो गलत एवं भ्रामक है। घोषणा पत्र में जगह जगह spelling mistake है, जिससे यह प्रतीत होता है कि घोषणा पत्र विपक्षी द्वारा गलत ढंग से बनाया गया है।

प्रतिवादी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा वहस के दौरान यह बताया गया कि श्री सुरेश गुप्ता को अपील वाद में अंकित भूमि ही एकमात्र संपत्ति है। इसके अलावे इनके पास घर बना कर रहने के लिए अन्य कोई भूमि नहीं है। इसके जबाव में अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा शपथ पत्र संख्या–3037, दिनांक–06.04.2021 समर्पित कर बताया गया है कि प्रतिवादी सुरेश गुप्ता द्वारा उक्त अपील वाद में दिनांक–25.09.2019 को दाखिल जबाव के कंडिका संख्या–11 एवं 12 में बताया गया है कि वाद में अंकित भूमि के अतिरिक्त वार्ड नं0–17, चक्रधरपुर में रामकली देवी के नाम से खरीदा हुआ भूमि है साथ ही बिहार के वैशाली जिले में डोमी साह के नाम से भी भूमि है उक्त वर्णित भूमि में उनका भी हिस्सा बनता है तो वे आपसी पारिवारीक बँटवारा के आधार पर प्राप्त करते हैं तो उसमें अपीलार्थी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

उक्त तथ्यों के आलोक में न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि वाद में वर्णित भूमि न ही प्रतिवादी के स्वयं के नाम से है और न ही उनके पिता एवं दादा के नाम से खतियान में दर्ज है। इसलिए उक्त अपील वाद में वर्णित भूमि में उनका दावा गलत है।

अतः अपीलार्थी के अपील वाद को अंगीकृत करते हुए अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर द्वारा नामांतरण वाद संख्या–148/R27/2019–20, दिनांक–11.06.2019 में पारित आदेश को **खारिज** किया जाता है। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर को निर्देश दिया जाता है कि वे पंजी–II एवं राजस्व अभिलेख में आवश्यक सुधार करना सुनिश्चित करेंगे।

आदेश की प्रति उभय पक्ष एवं निम्न न्यायालय को भी उपलब्ध करावें।

13/4

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
पोड़ाहाट चक्रधरपुर।

19/5/21

Digitally signed by KUSHALMY KINETH MUNDU
Date: 2025.01.10 16:47:16 +05:30
Location: 10.93.69.133